न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 1/2016 (225 आरटीए) नारायणसिंह बनाम जबरसिंह वगै.

नारायणसिंह पुत्र श्री सुल्तानसिंह जाति राजपूत निवासी बैंगटी खुर्द, तहसील फलोदी जिला जोधपुर।

..... अपीलांट

बनाम

1 जबरसिंह पुत्र श्री रेवतसिंह,
2 अनूपसिंह पुत्र रेवतसिंह,
3 उम्मेदसिंह पुत्र श्री रेवतसिंह,
4 गायड़सिंह पुत्र श्री सुल्तानसिंह,
5 सुमेरसिंह पुत्र श्री सुल्तानसिह,
6 भीवसिंह पुत्र श्री सुल्तानसिंह,
7 रेवतसिंह पुत्र श्री सुल्तानसिंह
सभी जातियान राजपूत निवासीगण बैंगटी खुर्द तहसील फलोदी, जिला जोधपुर।
8 तहसीलदार फलोदी।
9 जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जरिए सहायक अभियंता जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. फलोदी।
10 आई.सी.आई.सी.आई. बैंक शाखा फलोदी जरिए शाखा प्रबंधक।

..... रेस्पोडेण्ट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध आदेश सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी दिनांक 14.10.2015 अंतर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 223/2015

उपस्थित :

1 अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री रोशनलाल विश्नोई।
2 रेस्पो. सं. 9 की ओर से अधिवक्ता श्री रामप्रकाश प्रजापत।
3 रेस्पोडेंट संख्या 8 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी।
4 रेस्पो. सं. 1 से 7 व 10 बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 09.05.2018

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी के राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 223/2015 में पारित आदेश दिनांक 14.10.2015 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है। अपील पेश करने में हुई देरी को कंडोन करने के लिए अपील के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम पेश किया।
2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो. सं. 1 ने वाद अंतर्गत धारा 88, 188 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिसके साथ 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रा.पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पो. सं. 1 व रेस्पो. सं. 2 व 3 का वादग्रस्त खेत खसरा नं. 138/1 रकबा 117 बीघा 13 बिस्वा ग्राम बैंगटी खुर्द तहसील फलोदी की भूमि में 387/2353 हिस्सा अर्थात 19 बीघा 7 बिस्वा बंट में आती है। पूर्व में यह भूमि मूल खातेदारी सुल्तानसिंह की थी उनके निधन के पश्चात उनके वारिसान के नाम दर्ज हुई। रेस्पो. सं. 1 से 3 द्वारा उपरोक्त भूमि को उच्छवकंवर पत्नी भौमसिंह से जरिए रजिस्टर्ड बेचान नामा के खरीद किया था। रेस्पो. सं. 4 का उपरोक्त भूमि में 1/6 हिस्सा, रेस्पो. सं. 5 का 1/3 हिस्सा, रेस्पो. सं. 6 का 152/2353 हिस्सा व रेस्पो. सं. 7 का 1/6 हिस्सा तथा अपीलांट का अविभाजित भूमि में 12 बीघा 6 बिस्वा भूमि बंट में आई हुई है। वादग्रस्त भूमि पर रेस्पो. सं. 1 से 3 व 7 द्वारा एक नलकूप का निर्माण कराया हुआ है। जिसपर विद्युत कनेक्शन अपीलांट के नाम से स्थापित किया हुआ है। चूंकि अब संयुक्त रूप से काश्त करना संभव नहीं है इसलिए बंटवाड़े का वाद प्रस्तुत किया गया है। तथा अपीलांट ने अपने नाम पर स्थापित हुए विद्युत संबंध को अन्य स्थान पर नलकूप खुदवाकर अंतरित करने की कार्यवाही दिनांक 5.10.2015 को शुरू की है तथा बिना बंटवारे के ज्यादा भूमि पर कब्जा करने पर उतारू है। जिसके लिए वाद व अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद व प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर दिनांक 14.10.2015 को रेस्पो. सं. 1 की एक तरफा बहस सुनते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 14.10.2015 के द्वारा अपीलांट को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कर आगामी पेशी तक मौके की यथास्थिति बनाए रखे जाने का आदेश पारित किया जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की है।
3. उक्त अपील बउज़ मियाद दर्ज की जाकर रेस्पों. को जरिए सम्मन तलब

9/15
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

किया गया। एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4 अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री रोशनलाल विश्नोई ने अपील मीमो में वर्णित कथन को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक पक्षीय आदेश पारित किया है एवं अपीलांट मात्र विद्युत कनेक्शन अंतरित करने की कार्यवाही की जा रही है जिसे रोकने के लिए रेस्पो. सं. 1 न अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने गौर किए बिना ही स्वीकार कर लिया है जो विधि के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अस्थाई निषेघाज्ञा जारी करने के लिए मूलभूत बिंदुओ को विवेचन किए बिना ही आलोच्य आदेश पारित किया जो अपास्त व निरस्त किए जाने योग्य है। अपीलांट ने अपील देरी से पेश करने के संबंध में धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी पेश किया है जिसे स्वीकार करने का निवेदन किया क्योंकि अपीलाधीन आदेश एक पक्षीय जारी किया गया है अतः उसकी समय पर जानकारी नहीं हुई। अतः अपील अंदर मियाद शुमार करते हुए स्वीकार निवेदन किया।

5 रेस्पो. सं. 9 की ओर से अधिवक्ता श्री रामप्रकाश प्रजापत ने बहस में कथन किया कि अपीलांट विद्युत कनेक्शन को नियमानुसार शिफ्ट कराना चाहता है। स्थगन आदेश होने से यह कार्यवाही नहीं हुई है। स्थगन आदेश नहीं होने पर विद्युत कनेक्शन को नियमानुसार शिफ्ट करवाता है तो वभाग को कोई आपत्ति नहीं है। अतः न्यायालय स्तर से प्रकरण में उचित निर्णय पारित करने हेतु निवेदन किया।

6 रेस्पोडेंट संख्या 8 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी ने बहस में कथन किया कि प्रकरण में राज्य सरकार का कोई हित निहित नहीं हैं अतः उचित निर्णय पारित करने का निवेदन किया।

7 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

8 प्रकरण में दिनांक 14.10.2015 को अस्थाई निषेधाज्ञा इस उमर की जारी की गई कि ग्राम बैंगटी खुर्द तहसील फलोदी के खेत खसरा नं. 138/1 रकबा 117 बीघा 13 बिस्वा में से प्रार्थी रेस्पो. सं. 1 के हिस्से की भूमि व कब्जा काश्त में आगामी पेशी 17.11.2015 तक मोके की यथास्थिति बनाए रखे। अप्रार्थीगण की तलबी जरिए सम्मन की गई। इसके पश्चात 17.11.2015 को पूर्व पारित आदेश की अवधि बिना कारण अंकित करते हुए बढ़ाई

9/15
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

गई। अतः प्रकरण में सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 3ए के प्रावधानों की पालना नहीं करने के कारण अंतरिम एक पक्षीय आदेश के विरुद्ध यह अपील मैंटेनेबल है। रेस्पो. सं. 1 से 7 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण धारा–5 के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का भी खण्डन नहीं हुआ है अतः धारा–5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

9 अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के लिए मूल भूत बिंदुओ प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का निर्धारण किए बिना ही आदेश पारित किया गया है तथा आदेश 39 नियम 3ए की पालना नहीं की गई है। अतः अपीलाधीन आदेश विधि विरुद्ध एवं विधि सम्मत नहीं होने से अपास्त किए जाने योग्य है।

10 अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.10.2015 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रषित किया जाता है कि पक्षकारान को समुचित सुनवाई का अवसर दिया जाकर एवं अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के मूलभूत बिंदुओं की स्पष्ट विवेचना करते हुए एक माह की अवधि में प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जावे।

9/5/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

11 निर्णय आज दिनांक 09.05.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

9/5/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर